



2026: AHC: 24161

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - **4460** वर्ष **2026**

दिनेश कुमार सिंहयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: शैलेंद्र कुमार शर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेया

1. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थना के साथ वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है: -
"(क) परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को राजस्व संहिता नियमावली 2016 की धारा 67 के तहत कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T 202415060406680 दिनांक 20.12.2024/ 03.01.2025 को तय करने का निर्देश दें।"
2. रिकॉर्ड के अवलोकन से यह पता चलता है कि रिट याचिका में निहित रिकॉर्ड के आधार पर यह स्पष्ट है कि भूमि प्रबंधन समिति द्वारा उ.प्र. राजस्व संहिता, 2016 के नियम 66 के तहत प्रावधानित केवल 'आरसी प्रपत्र-19' जारी किया गया है। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा वर्तमान रिट याचिका में प्रार्थना किए गए किसी भी मामले के लंबित होने के संबंध में रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. यह ध्यान देना उचित है कि हालांकि छांगुर सिंह के खिलाफ राहत मांगी गई है, लेकिन याचिकाकर्ता को ही बेहतर ज्ञात कारणों से, उन्हें रिट याचिका में प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्यवाही के लंबित रहने के कारण याचिकाकर्ता को कोई क्षति नहीं हुई है, इसलिए उनकी ओर से दायर वर्तमान रिट याचिका विचारणीय नहीं है।
4. मामले के इस दृष्टिकोण को देखते हुए, न्यायालय की यह राय है कि वर्तमान रिट याचिका में मांगी गई राहत प्रदान नहीं की जा सकती, अतः वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है।

4 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

(प्रकाश पाडिया, जे.)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"